

**राज्यपाल सचिवालय
राजभवन, जयपुर**

क्रमांक: एफ.1(A)(1)आर.बी./2025/ 3310

दिनांक: 23 जून, 2025

कुलगुरु,
समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय, राजस्थान

परिपत्र

विषय:— विश्वविद्यालय से संबंधित अधिनियमों/नियमों में वर्णित प्रावधानों की कठोरता से पालना करने एवं पत्राचार करने के संबंध में दिशा निर्देश।

यह ज्ञात हुआ है कि विश्वविद्यालय के कुलगुरु/कुलसचिव के द्वारा विश्वविद्यालय से संबंधित अधिनियमों, नियमों में वर्णित प्रावधानों को ध्यान में रखे बिना ही अनावश्यक रूप से माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय तथा सचिव, राज्यपाल महोदय को पत्राचार किया जा रहा है, जो माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय एवं राज्यपाल सचिवालय की गरिमा के विपरीत है, साथ ही यह ध्यान में आया है कि विश्वविद्यालयों के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में दायर होने वाले न्यायिक प्रकरणों में कुलगुरु/कुलसचिव के द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे जवाबदावों में यह गलत कथन प्रस्तुत किए जा रहे हैं कि प्रकरण से सम्बन्धित पत्रावली माननीय राज्यपाल महोदय तथा राज्यपाल सचिवालय के स्तर पर लंबित है, उक्त कृत्य माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय राज्यपाल महोदय (संवैधानिक पद) की गरिमा के विपरीत है।

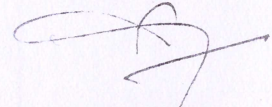
उक्त तथ्यों के प्रकाश में विश्वविद्यालयों के कुलगुरु/कुलसचिव को निम्न निर्देश प्रदान किए जाते हैं:—

1. विश्वविद्यालय के कुलगुरु/कुलसचिव सर्वप्रथम यह सुनिश्चित कर लें कि माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय तथा सचिव, राज्यपाल को जो पत्राचार किया जा रहा है, वह विश्वविद्यालय से संबंधित अधिनियमों, नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत है।
2. विश्वविद्यालयों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने वाले जवाबदावों में यदि अधिनियमों, नियमों या अध्यादेशों के विपरीत या कोई गलत तथ्य/कथन प्रस्तुत किये जाते हैं, तो उसके लिए विश्वविद्यालय के कुलगुरु/कुलसचिव उत्तरदायी होंगे।



3. विश्वविद्यालय के अधिनियमों, नियमों एवं अध्यादेशों में विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित संशोधन हेतु सीधे ही माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय तथा सचिव, राज्यपाल महोदय से पत्राचार नहीं करेंगे, उक्त बाबत विश्वविद्यालय से संबंधित प्रशासनिक विभाग से संपर्क कर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।
4. विश्वविद्यालय कार्मिकों के पेंशन प्रकरण, कैरियर एडवांसमेंट स्कीम (CAS) संबंधित प्रकरण, विश्वविद्यालय में बजट, खरीद, निर्माण कार्य व अन्य व्यय की जाने वाली राशि के प्रस्ताव, पदों के सृजन, रिक्त पदों पर भर्ती तथा भर्ती में रोस्टर आदि के संबंध में कुलगुरु/कुलसचिव सीधे ही माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय तथा सचिव, राज्यपाल महोदय से पत्राचार नहीं करेंगे, उक्त बाबत विश्वविद्यालय अपने संबंधित प्रशासनिक विभाग को प्रकरण प्रेषित कर राज्य सरकार से सक्षम स्तर से निर्णय पश्चात यदि आवश्यक हो तो प्रस्ताव माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के समक्ष सहमति/अनुमति/अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेंगे।

भवदीय,



(डॉ. पृथ्वी)

सचिव

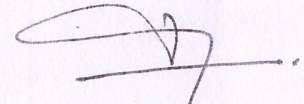
राज्यपाल, राजस्थान

क्रमांक: एफ.1(A)(1)आर.बी./2025/ 3311

दिनांक 23 जून, 2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/सचिव..... विभाग।
2. कुलसचिवगण, समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय, राजस्थान।
3. वित्त नियंत्रक, समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय, राजस्थान।
4. प्रभारी अधिकारी (IT), राजभवन, जयपुर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।



सचिव,

राज्यपाल, राजस्थान